न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO.-2025/262
मिसलनम्बर– 53 / 2025

1. प्रिती वर्मा आयु 30 वर्ष पत्नी श्री सत्यनारायण जाति मेघवाल निवासी सानिया बावड़ी कोटा (राज.)
2. हजारी लाल आयु 70 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम लेसरदा तहसील कैशोरायपाटन जिला बून्दी (राज.)

....प्रार्थीगण

बनाम

1. पुष्पचन्द पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

......प्रतिपक्षीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 23/03/2026

उपस्थितिः–
1.श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री घनश्याम नागर, अधिवक्ता अप्राथी नं0 1।

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या नया 295 खाता संख्या पुराना 267 के ख.नं. 2409 / 941 रकबा 0. 7300 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी क्रम–1 का 64 / 73 हिस्सा तथा प्रार्थी क्रम–2 का 9 / 73 हिस्सा दर्ज रेकार्ड निहित चला आ रहा है।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी के समीपस्थ खसरा नं. 938 रकबा 1.65 हैक्टर स्थित है जो प्रतिपक्षी संख्या–1 के खातेदारी की है, प्रार्थीगण के खाते की उपरोक्त आराजी व प्रतिपक्षी संख्या–1 की उपरोक्त वर्णित आराजी के मध्य मेड़ स्थित है तथा नक्शे में भी तरमीम हो रही है तथा उसी अनुरूप प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी अपनी आराजी के मालिक व काबिज है। प्रतिपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संख्या–2 फोरमल पक्षकार होने की वजह से उन्हे पक्षकार संख्या–2 के रूप में संयोजित किया गया है।

उक्त आराजी में, प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य मेढ़ बनी हुई है लेकिन उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होने लगा तब प्रार्थीगण ने इस संबंध में प्रतिपक्षी संख्या–2 को कार्यवाही करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिपक्षी संख्या–2 ने प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं. 1 के विवाद हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की, इसलिये प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है. उक्त आराजी का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी को विकसित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण को खाता सख्या नया 295 खाता संख्या पुराना 267 के ख.नं. 2409/941 रकबा 0.7300 हैक्टर जिसमें प्रार्थी क्रम–1 का 64/73 हिस्सा तथा प्रार्थी क्रम–2 का 9/73 हिस्सा निहित है उक्त आराजी की पैमाईश एवं सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की रिकॉडेड खातेदारी की कृषि आराजी खाता सख्या नया 295 खाता संख्या पुराना 267 के ख.नं. 2409/941. रकबा 0.7300 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का 64/73 हिस्सा तथा प्रार्थी क्रम–2 का 9/73 हिस्से की आराजी का सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी क्रम 1 की आरे से निम्नलिखित जवाब पेश किया गया :– प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 2409/941 के पश्चिमी मेर पर से अप्रार्थी का रास्ता हमेशा की भॉति आज भी प्रचलित है जिसे बंद करने के ध्येय से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय को प्रकरण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। पत्थरगढी के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा सक्षम न्यायालय है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज आराजी के आस पास के सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

प्रार्थीगण की आराजी मे से अप्रार्थी का कदिमी प्रचलित रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता को बन्द करने के ध्येय से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त आराजी से लंगवा खसरा नम्बर 2410/941 खसरा नम्बर 941/1785 स्थित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

है, खसरा नम्बर 941/1785 नगर विकास न्यास कोटा के नाम बस्ती बस जाने के कारण दर्ज हो गयी। आराजी कीमती हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा हाल ही में उक्त आराजी खरीद की है और बाद खरीद ही अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

नगर विकास न्यास को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि मौका देखने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि खसरा नं0 2409/941 का उत्तर पश्चिमी भाग का कुछ भाग पर खसरा नं0 938 के खातेदार पुष्पचंद पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ सा0 देह का कब्जा काश्त है। मौके पर वर्तमान में गेंहू की फसल है।

बाद रिपोर्ट दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

बहस उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित ख.नं. 2410/941 रकबा 0.8000 हैक्टर खातेदार प्रार्थीगण तथा खसरा नं0 938 प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य मेढ़ बनी हुई है लेकिन उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होने लगा तब प्रार्थीगण ने इस संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 2 को कार्यवाही करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं. 1 के विवाद हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी की पश्चिमी मेर मे से अप्रार्थी का रास्ता रहा है जो आज भी मौके पर प्रचलित है। जिसे बंद करने व अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली में निहित दस्तावेंज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसील रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग का कुछ भाग पर अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। अप्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी का कदिमी प्रचलित रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता को बन्द करने के ध्येय से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

है। बाद अवलोकन प्रकरण में उभयपक्षकारान की भूमियों के मध्य सीमा सम्बंधित विवाद होना जाहिर होता है। अतः सीमाओं के विवाद के समाधान हेतु बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना अति-आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिससे मौके की शांति व्यवस्था भी बनी रहें। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि यदि प्रार्थीगण की आराजी में से अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 938 का कदीमी रास्ता मौजूद है तो कदीमी/प्रचलित रास्ते को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार कार्यवाही कर ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित ख.नं. 2409/941 रकबा 0.7300 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा